(26)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

Rs 30/-

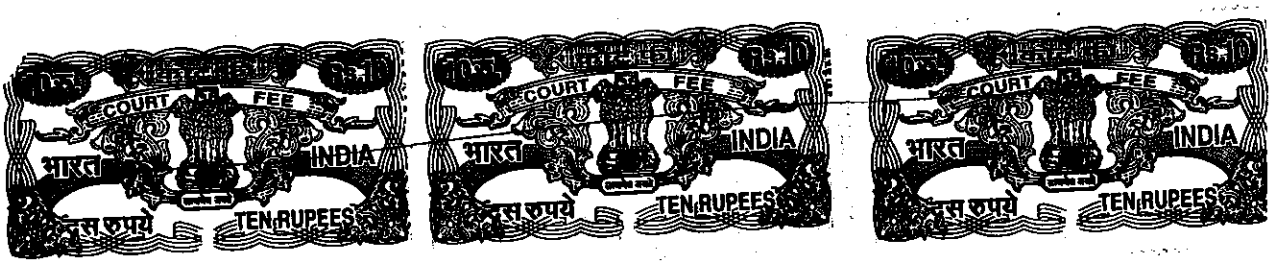

R 5210-III/16

हीरामनी पिता राजमन साकेत निवासी ग्राम गढ़वा, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0 - ---- निगरानीकर्ता

बनाम

मध्य प्रदेश शासन - ----- गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर जिला सिंगरौली के प्र.क्र. 46/निगरानी/2009-10, आदेश दिनांक 4.1.2010, अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई.।

श्री आर. के. देव पाण्डेय 10-5-16 द्वारा ... प्रस्तुत किया गया। मोहर सर्किट कोर्ट रीवा

==================================

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2:- यह कि विवादित भूमियाँ आवेदक की स्वत्व, आधिपत्य की भूमियाँ है, आवेदक गैरहकदार कृषक था, जिसको सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा अपने प्रकरण क्र. 139-बी/121/98-99 के अन्तर्गत दिनांक 22.9.99 को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हुआ।

3:- यह कि आवेदक को कानून के अन्तर्गत यानी रीवां राज्य कानून के अन्तर्गत गैरहकदार कृषक में जो दर्ज है, और विन्ध्य प्रदेश कानूनमाल अन्तर्गत जो कृषक है, उसको अपने आप म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन 195

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5210–दो/2016 जिला सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18 –11–2016	आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर सिंगरौली के प्रकरण कमांक 46/निगरानी/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 4–1–2010 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि अतिरिक्त तहसीलदार सिंगरौली वृत्त अमिलिया के प्रकरण कमांक 823/अ–74/07–08 में पारित 25–3–08 के परीक्षण एवं संबंधित पक्षकार को सूचना व पक्ष समर्थन का अवसर देने के उपरांत कलेक्टर ने यह पाते हुये कि अतिरिक्त तहसीलदार के प्रकरण में ऐसे कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं पाते हुये यह सिद्ध नहीं पाया कि वास्तव में आवेदक को प्रश्नगत भूमियों को पाने का अधिकारी है तथा उन्हीं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में अभिलेख सुधार किये जाने का आदेश पारित किया है। कलेक्टर द्वारा प्रश्नगत भूमियां पूर्व में म0प्र0 शासन के स्वामित्व में दर्ज अभिलेख होने एवं आवेदक द्वारा बिना किसी वैध आधार के भूमि अतिरिक्त तहसीलदार के विवादित आदेश से प्राप्त किया पाये जाने के कारण अतिरिक्त तहसीलदार का विवादित आदेश दिनांक 25–3–08 निरस्त कर भूमि शासकीय दर्ज करने का आदेश दिया है। कलेक्टर के आदेश के आदेश में	

किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा कलेक्टर के आदेश दिनांक 4–01–2010 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 10–5–2016 को निगरानी प्रस्तुत की गई है। 6 वर्ष से अधिक विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत करने का कोई ठोस समाधानकारक भी नहीं दर्शाया है। दर्शित परिस्थतियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन एवं समयावधि बाह्य होने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस. एस. अली)
सदस्य